तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **खेम सिंह बनाम लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, लूणी)** सू.अ.अपील संख्या 195/2023	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.08.23	अपीलार्थी खेम सिंह जोधा निवासी ग्राम/पोस्ट शिकारपुरा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 13.05.2023 में (1) राज्य सरकार द्वारा उपखण्ड अधिकारी के निरीक्षण/भ्रमण के नॉर्म्स की पालना में श्री जावेद अली खान उपखण्ड अधिकारी महोदय (तत्कालीन) लूणी के द्वारा 01–08–2018 से 31–01–2019 तक किये गये निरीक्षण /भ्रमण के रात्रिकालीन भ्रमण के स्थानों की प्रमाणित सूची मय दिनांक एवं ग्रामीणों द्वारा वक्त भ्रमण प्रस्तुत परिवेदनाओं की छायाप्रतियां (2) अन्य बिन्दू से संबधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी, लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी, लूणी) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। (हिमान्शु गुप्ता) जिला कलक्टर, जोधपुर जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)	